

79



PBR/निगरानी/खण्डवा/अ-रा/2017/1754  
न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला-खण्डवा

अय्युब अली पुत्र श्री मोहम्मद अली,  
निवासी - पंधाना, तहसील पंधाना,  
जिला खण्डवा (म0प्र0)

-- आवेदक

विरुद्ध

श्री विश्वनाथ शर्मा  
द्वारा आज दि. 13.6.17 को  
प्रस्तुत

13.6.17  
राजस्व मण्डल

Chatrudi  
13/06/17

1. अजगर अली पुत्र श्री नवाब अली,
2. हिफाजत अली पुत्र श्री नवाब अली,
3. इरसाद अली पुत्र श्री नवाब अली,  
निवासीगण - परदेशीपुरा, पंधाना,  
तहसील पंधाना, जिला खण्डवा (म0प्र0)
4. मुनसबबी पति मेहबूब कुरेशी,  
निवासी - करेली, जिला नरसिंहपुर  
(म0प्र0)
5. इकबालबी पति शेरुखाँ, निवासी  
सनावद, जिला खरगोन (म0प्र0)
6. इम्तियाजबी पति अहमद खाँ, निवासी  
- कहारवाडी, खण्डवा जिला खण्डवा  
(म0प्र0)
7. रेहमत अली पुत्र श्री मजीद अली,  
निवासी मेवाती मौहल्ला पंधाना,  
तहसील पंधाना, जिला खण्डवा (म0प्र0)
8. बोदरबी पति श्री नवाब खाँ,  
निवासी- ग्राम भुलगांव, तहसील  
बडवाह, जिला खरगोन (म0प्र0)
9. मेहराज अली पुत्र श्री जमाल अली  
निवासी मेवाती मौहल्ला पंधाना,  
तहसील पंधाना, खण्डवा, जिला  
खण्डवा (म0प्र0)
10. अहमद अली पुत्र श्री नवाब अली,
11. कुदुस बी पुत्री श्री मोहम्मद अली,  
निवासी- बैरी मैदान, बुरहानपुर, जिला  
बुरहानपुर (म0प्र0)
12. शौकत अली पुत्र श्री मोहम्मद अली
13. रउफाबी पुत्री श्री मोहम्मद अली,
14. रजिया बी पुत्री श्री मोहम्मद अली,  
निवासी - लाल बाग, बुरहानपुर, जिला  
बुरहानपुर (म0प्र0)
15. मशारत अली पुत्र श्री मोहम्मद अली,
16. युसुफ अली पुत्र श्री मोहम्मद अली,
17. शैफी बी पुत्री श्री मोहम्मद अली,

18. रसीद अली श्री मोहम्मद अली,  
निवासीगण- ग्राम पंधाना, तहसील  
पंधाना, जिला खण्डवा (म0प्र0)

19. मध्यप्रदेश शासन, द्वारा - कलेक्टर,  
खण्डवा (म0प्र0)

-- अनावेदकगण

**न्यायालय तहसीलदार, पंधाना, जिला खण्डवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/  
अ-5/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 06.06.2017 के विरुद्ध म0प्र0  
भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।**

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर  
न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-



**मामले के संक्षिप्त तथ्य :**

1. यहकि, तहसीलदार पंधाना, जिला खण्डवा के समक्ष अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 6 के द्वारा आवेदन पत्र संहिता की धारा 89 के अन्तर्गत इस आशय से प्रस्तुत किया कि उनके हिस्से एवं कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 27 का रकवा 1.15 के स्थान पर 0.70 हैक्टेयर पर से मेहराज अली का नाम कम कर उनके नाम पर एवं खसरा नम्बर 37 पैकि 38, 39 रकवा क्रमश 0.08 पैकि 0.43, 1.45 कुल रकवा 1.96 है0 भूमि रेहमत अली एवं बोंदरबी के नाम से कम कर उनके नाम राजस्व अभिलेख में दुरुस्त कर दर्ज किये जाये।
2. यहकि, उपरोक्त आवेदन पत्र के साथ अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 6 द्वारा एक तुलनात्मक विवरण भूमि की स्थिति के बारे में प्रस्तुत किया है, जिस आवेदक की ओर से स्पष्ट आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी एवं बताया था कि वादग्रस्त भूमि वस्तुतः पुराना खसरा नम्बर 14 रकवा 17.29 एकड होकर आवेदकगण के पिता नबाव अली बल्द बजीर अली के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज रही है, ऐसी स्थिति में उनका नाम अभिलेख से कम किया जाना तथा अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 6 का नाम इन्द्राज किया जाना वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है, इसलिए आवेदन निरस्त किया जाये।
3. यहकि, आवेदक की ओर से एक आवेदन पत्र आदेश 1 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया के अन्तर्गत इस आशय से प्रस्तुत किया कि मरहूम नबाव अली के वारिस मरहूम मोहम्मद अली एवं अहमद अली, जिनमें मोहम्मद अली की मृत्यु हो चुकी है, जिनके वारिस आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 11 लगायत 18 इस प्रकार आवेदक एवं अनावेदक क्र0 11 लगायत 18 सभी नबाव अली वंशज हैं।
4. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 6 विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 89 का आवेदन पत्र उनके पीठ-पीछे तथा उन्हें पक्षकार बनाये प्रस्तुत किया है, जबकि आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 10 लगायत 18 प्रकरण में आवश्यक एवं

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/खण्डवा/भूरा/2017/1754

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो।</p> <p> अध्यक्ष</p> <p> अध्यक्ष</p>	